# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी
## पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या :—17 / 2025 (2025 / 65)

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 01. श्रीमती उम्मेदकंवर पत्नी कालूराम<br>02. किशोर सिंह पुत्र मोहनराम<br>03. जीवन सिंह पुत्र कालूराम<br>04. प्रेमकंवर पुत्र कालूराम<br>05. बालूसिंह पुत्र मोहनराम<br>06. भंवर सिंह पुत्र मोहनराम<br>07. श्राजूसिंह पुत्र मोहनराम<br>08. शंकरसिंह पुत्र मोहनराम<br>09. सुगन कंवर पुत्री कालूराम<br>10. हरिसिंह पुत्र कालूराम सभी जातियान रावणा राजपूत निवासी ग्राम सांगरिया तहसील व जिला जोधपुर। | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी जिला जोधपुर। |

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थिति —**

1. प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री बंशीसिंह सौलंकी एवं खुशबू कंवर।
2. अप्रार्थी राजकीय पैराकार।

आदेश

दिनांक:—06.05.2025

प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थनापत्र धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम का इस न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है। उक्त प्रार्थनापत्र में निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण की सामलात खातेदारी भूमि ग्राम भाकरासनी, पटवार हल्का तनावड़ा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुड़ा विश्नोईयां, तहसील लुनी, जिला जोधपुर के खसरा नंबर 86 रकबा 5.7951 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों का देहान्त होने के बाद खसरा संख्या 86 में ग्राम भाकरासनी का म्युटेशन भराने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क करने पर उन्होने बताया कि उपरोक्त राजस्व खातों में प्रार्थीगण के पूर्वज मोहनराम,कालूराम की जाति रावणाराजपूत न होकर दरोगा इन्द्राज है। इस कारण रावणा राजपूत जाति से म्युटेशन न भरकर दरोगा जाति से म्युटेशन भरने की वजह से प्रार्थीगण अपना उपरोक्त रेकर्ड अशुद्धि से शुद्धि कराने हेतु मृतक मोहनराम व कालूराम के विधिक वारिसान होने के कारण यह प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण के प्रेडिसेशर इन टाईटल स्वर्गीय श्री मोहनराम व कालूराम पिसरान कानाराम की खातेदारी कृषि भूमि सरहद मौजा ग्राम भाकरासनी पटवार हल्का तनावडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गुडा विश्नोईयां तहसील लुणी, जिला जोधपुर के खेत खसरा संख्या 86 रकबा 5.7951 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय की मोहनराम व कालूराम पुत्रांन कानाराम जाति दरोगा लिखा हुआ है। जबकि मोहनराम व कालूराम की जाति दरोगा न होकर जाति रावणा राजपूत है लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से रावणा राजपूत के स्थान पर दरोगा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज कर दिया गया। प्रार्थीगण के प्रेडिशिसर इन टाईटल मोहनराम उर्फ मोहनसिंह पुत्र कानाराम उर्फ कानसिंह के खेत खसरा नंबर 347 ग्राम झालामण्ड का है, जिसमें जाति रावणा राजपूत इन्द्राज है। प्रार्थी भंवरसिंह ने अपना जाति प्रमाणपत्र भंवरसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह का पेश किया है जिसमें जाति रावणा राजपूत दर्ज है। मात्र राजस्व अधिकारियों की गलती से रावणा राजपूत के स्थान पर दरोगा दर्ज हो गया है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

उक्त प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड में नाम शुद्ध करवाने के अधिकारी है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की जाति रावणा राजपूत दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें।

उक्त प्रार्थनापत्र में तहसीलदार लुनी के पत्रांक/2025/1313 दिनांक 28.04.2025 ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वर्तमान जमाबंदी अनुसार ग्राम भाकरासनी के खसरा नम्बर 86 रकबा 5.7951 हैक्टयर में खातेदार उम्मेदकंवर पत्नि कालूराम जाति दरोगा सा सागरिया वगैरा शेष बदस्तुर जमाबंदी दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा जमाबन्दी में दर्ज जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज करने का निवेदन किया गया। गत राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी का अवलोकन करने पर भी उक्त खसरे में खातेदारान की जाति दरोगा ही दर्ज होना पाया गया है। ग्राम भाकरासनी के नामान्तरकरण संख्या 290 जो कि खसरा नम्बर 86 से सबधित है में भी खातेदारान की जाति दरोगा दर्ज है। प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई है।

हमने प्रस्तुत प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र, प्रस्तुत दस्तावेजात अन्य राजस्व रेकर्ड, प्रार्थी भंवरसिंह का जाति प्रमाणपत्र में जाति रावणा राजपूत दर्ज है। के अधार पर ग्राम भाकरासनी के खसरा ननंबर 86 रकबा 5.7951 हैक्टर की भूमि में प्रार्थीगण की जाति दरोगा के स्थान पर जाति रावणाराजपूत नाम दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने का आदेश तहसीलदार, लुनी, को दिया जाता है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
लुणी, जिला जोधपुर

आदेश आज दिनांक 06.05.2025 को खुले न्यायालय/इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी
लुणी, जिला जोधपुर

| | | |
|---|---|---|
| 30-4-25 | पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। दौरे पर है। दीगर कार्यों में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6-5-2025 को पेश हो। | |
| 6-5-25 | पत्रावली पेश हुई। आदेश अलग से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। <br><br> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी | |